


08.04.2022:-पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता को बार-बार
आवज लमाई गई। वादी व उसके अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। वादी व उसके अधिवक्ता के
उपस्थित नहीं आने कारण वादपत्र वादी अदम
पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
रुमुमानगढ़

